

संचालनालय स्वास्थ्य सेवाएं मध्यप्रदेश

क्रमांक 04/लोसेगा/2015/186

भोपाल, दिनांक 08/10/2015

—: आदेश :—

प्रदेश में संचालित निजी उपचर्यागृहों (नर्सिंग होम) तथा रूजोपचार (क्लीनिक आदि) संबंधी स्थापनाओं का रजिस्ट्रीकरण एवं अनुज्ञापन दिया जाना एवं नवीनीकरण करना, को लोकसेवा गारंटी में सम्मिलित किया गया है। इस सेवा को प्रदान करने हेतु पदाभिहित अधिकारी, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी हैं एवं 30 कार्य दिवस की समयसीमा निर्धारित की गई है।

2/मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला इन्दौर द्वारा निम्न आवेदनों को निर्धारित समयसीमा में निराकृत नहीं किया गया:—

S. N	Registration Type	Applicant Type	Application No.	Firm Name	Applicant Name	District	Date of Application	Application Status	Remark
1	Nursing Home	Renew	NHS 1500211	New Life Hospital	Mahesh Goud	Indore	04/07/2015	CMHO RE-Assigned to Inspection Authority	Time-barred pending
2	Nursing Home	New	NHS 1500296	Mahaveer Hospital	Apar Sanghvi	Indore	01/07/2015	CMHO RE-Assigned to Inspection Authority	Time-barred pending
3	Nursing Home	Renew	NHS 1500361	Swami Parmanand Netralaya	Dr. R S Choudhary	Indore	27/07/2015	CMHO Assigned to Inspection Authority	Time-barred pending

उपरोक्त प्रकरणों का आज दिनांक तक निराकरण नहीं किया गया है तथा मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, इन्दौर द्वारा निर्धारित समयसीमा में आवेदनों का निराकरण नहीं करने पर जारी किये गये कारण बताओं नोटिस दिनांक 10.09.2015 एवं 28.09.2015 का प्रतिवाद उत्तर भी प्रस्तुत नहीं किया गया है। इनका यह कृत्य वरिष्ठ कार्यालय के निर्देशों एवं "मध्यप्रदेश लोकसेवाओं के प्रदान की गारंटी अधिनियम 2010" के कियान्वयन में लापरवाही एवं अनुशासनहीनता का प्रतीक है। अतः अधिनियम द्वारा प्रदाय द्वितीय अपीलीय अधिकारी की शक्तियों का प्रयोग करते हुये उक्त लंबित प्रकरणों को स्वमेव अपील में लेकर अधिनियम की धारा 7 (1) (क) के तहत पदाभिहित अधिकारी डॉ शांतिलाल पोरवाल, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला इन्दौर पर प्रति प्रकरण रु. 1000/- के मान से कुल राशि रु. 3000/- की शास्ति अधिरोपित की जाती है।

3/आप उक्त प्रकरणों का तत्काल निराकरण कर, 07 दिवस के भीतर शास्ति की राशि शीर्ष 0070 अन्य प्रशासनिक सेवाएं, उप मुख्य शीर्ष (60) अन्य सेवाएं, लघु शीर्ष (800), अन्य प्राप्तियों, योजना (1066) लोकसेवा अधिनियम के अन्तर्गत प्राप्तियों मद में जमा कर, जिला कलेक्टर कार्यालय को, चालान की एक प्रति प्रेषित कर प्रतिवेदन इस कार्यालय को अनिवार्य रूप से उपलब्ध करायें। इस आदेश का समय पर पालन करने में विफल रहने पर आपके विरुद्ध कठोर कार्यवाही की अनुशंसा की जाएगी।

M. P. W. as written
Les
21/10

[Signature]
संचालक (अस्पताल प्रशासन)
संचालनालय स्वास्थ्य सेवाएं
मध्यप्रदेश


क्रमांक 04/लोसेगा/2015/187

भोपाल, दिनांक 08/10/2015

प्रतिलिपि सूचनार्थ -

1. प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, मध्यप्रदेश।
2. सचिव, मध्यप्रदेश शासन, लोकसेवा प्रबंधन विभाग, मध्यप्रदेश।

3. स्वास्थ्य आयुक्त, संचालनालय स्वास्थ्य सेवाएँ, मध्यप्रदेश।
4. कार्य पालन संचालक, राज्य लोकसेवा अभिकरण, सुशासन भवन, भदभदा रोड, भोपाल।
5. संचालक/नोडल अधिकारी, लोकसेवा गारंटी, संचालनालय स्वास्थ्य सेवाएँ, मध्यप्रदेश।
6. संभागीय संयुक्त संचालक, स्वास्थ्य सेवाएँ, इन्दौर संभाग, मध्यप्रदेश।
7. कलेक्टर, जिला इन्दौर, मध्यप्रदेश।
8. संबंधित डॉ शांतिलाल पोरवाल, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जिला इन्दौर की ओर पालनार्थ।


ले संचालक (अस्पताल प्रशासन)
संचालनालय स्वास्थ्य सेवाएँ
मध्यप्रदेश

संचालनालय स्वास्थ्य सेवाएँ मध्यप्रदेश

क्रमांक 04/लोसेगा/2015/184

भोपाल, दिनांक 08/10/2015

—: आदेश :-

प्रदेश में संचालित निजी उपचर्यागृहों (नर्सिंग होम) तथा रूजोपचार (क्लीनिक आदि) संबंधी स्थापनाओं का रजिस्ट्रीकरण एवं अनुज्ञापन दिया जाना एवं नवीनीकरण करना, को लोकसेवा गारंटी में सम्मिलित किया गया है। इस सेवा को प्रदान करने हेतु पदाभिहित अधिकारी, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी है एवं 30 कार्य दिवस की समयसीमा निर्धारित की गई है।

2/मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला देवास द्वारा निम्न आवेदन को निर्धारित समयसीमा में निराकृत नहीं किया गया:-

S. N	Registration Type	Applicant Type	Application No.	Firm Name	Applicant Name	District	Date of Application	Application Status	Remark
1	Nursing Home	RENEW	NHS150 0297	JOSEPH HOSPITAL AND DIGONISTIC CENTER BAGLI	JOHN JOSEPH	DEWAS	04/08/2015	Document Uploaded	Time-barred pending

उपरोक्त प्रकरण का आज दिनांक तक निराकरण नहीं किया गया है तथा मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, देवास द्वारा निर्धारित समयसीमा में आवेदनों का निराकरण नहीं करने पर जारी किये गये कारण बताओं नोटिस दिनांक 10.09.2015 एवं 28.09.2015 का प्रतिवाद उत्तर भी प्रस्तुत नहीं किया गया है। इनका यह कृत्य वरिष्ठ कार्यालय के निर्देशों एवं "मध्यप्रदेश लोकसेवाओं के प्रदान की गारंटी अधिनियम 2010" के क्रियान्वयन में लापरवाही एवं अनुशासनहीनता का प्रतीक है। अतः अधिनियम द्वारा प्रदाय द्वितीय अपीलीय अधिकारी की शक्तियों का प्रयोग करते हुये उक्त लंबित प्रकरणों को स्वमेव अपील में लेकर अधिनियम की धारा 7 (1) (क) के तहत पदाभिहित अधिकारी डॉ अशोक कुमार दीक्षित, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला देवास पर कुल राशि रू. 1000/- की शास्ति अधिरोपित की जाती है।

3/आप उक्त प्रकरण का तत्काल निराकरण कर, 07 दिवस के भीतर शास्ति की राशि शीर्ष (0070) अन्य प्रशासनिक सेवाएँ, उप मुख्य शीर्ष (60) अन्य सेवाएँ, लघु शीर्ष (800), अन्य प्राप्तियाँ, योजना (1066) लोकसेवा अधिनियम के अन्तर्गत प्राप्तियाँ मद में जमा कर, जिला कलेक्टर कार्यालय को चालान की एक प्रति प्रेषित कर प्रतिवेदन इस कार्यालय को अनिवार्य रूप से उपलब्ध करायें। इस आदेश का समय पर पालन करने में विफल रहने पर आपके विरुद्ध कठोर कार्यवाही की अनुशंसा की जाएगी।

संचालक (अस्पताल प्रशासन)

संचालनालय स्वास्थ्य सेवाएँ

मध्यप्रदेश

भोपाल, दिनांक 08/10/2015

क्रमांक 04/लोसेगा/2015/185

प्रतिलिपि सूचनार्थ -

1. प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, मध्यप्रदेश।
2. सचिव, मध्यप्रदेश शासन, लोकसेवा प्रबंधन विभाग, मध्यप्रदेश।
3. स्वास्थ्य आयुक्त, संचालनालय स्वास्थ्य सेवाएँ, मध्यप्रदेश।
4. कार्य पालन संचालक, राज्य लोकसेवा अभिकरण, सुशासन भवन, भदमदा रोड, भोपाल।
5. संचालक/नोडल अधिकारी, लोकसेवा गारंटी, संचालनालय स्वास्थ्य सेवाएँ, मध्यप्रदेश।
6. संभागीय संयुक्त संचालक, स्वास्थ्य सेवाएँ, उज्जैन संभाग, मध्यप्रदेश।
7. कलेक्टर, जिला देवास, मध्यप्रदेश।
8. संबंधित डॉ अशोक कुमार दीक्षित, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जिला देवास की ओर पालनार्थ।

संचालक (अस्पताल प्रशासन)

संचालनालय स्वास्थ्य सेवाएँ

मध्यप्रदेश

Mr. Thomas
M. Pr- or
web site

Leo
8/10/15

संचालनालय स्वास्थ्य सेवाएँ मध्यप्रदेश

क्रमांक 04/लोसेगा/2015/182

भोपाल, दिनांक 08/10/2015

—: आदेश :—

प्रदेश में संचालित निजी उपचर्यागृहों (नर्सिंग होम) तथा रूजोपचार (क्लीनिक आदि) संबंधी स्थापनाओं का रजिस्ट्रीकरण एवं अनुज्ञापन दिया जाना एवं नवीनीकरण करना, को लोकसेवा गारंटी में सम्मिलित किया गया है। इस सेवा को प्रदान करने हेतु पदाभिहित अधिकारी, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी है एवं 30 कार्य दिवस की समयसीमा निर्धारित की गई है।

2/मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला ग्वालियर द्वारा निम्न आवेदन को निर्धारित समयसीमा में निराकृत नहीं किया गया:—

S. N	Registration Type	Applicant Type	Application No.	Firm Name	Applicant Name	District	Date of Application	Application Status	Remark
1	Nursing Home	NEW	NHS 1500398	ASIAN HOSPITAL	ANUJ SAXENA	GWALI OR	12/08/2015	CMHO Assigned to Inspection Authority	Time-barred pending

उपरोक्त प्रकरण का आज दिनांक तक निराकरण नहीं किया गया है तथा मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, ग्वालियर द्वारा निर्धारित समयसीमा में आवेदनों का निराकरण नहीं करने पर जारी किये गये कारण बताओं नोटिस दिनांक 10.09.2015 एवं 28.09.2015 का प्रतिवाद उत्तर भी प्रस्तुत नहीं किया गया है। इनका यह कृत्य वरिष्ठ कार्यालय के निर्देशों एवं "मध्यप्रदेश लोकसेवाओं के प्रदान की गारंटी अधिनियम 2010" के क्रियान्वयन में लापरवाही एवं अनुशासनहीनता का प्रतीक है। अतः अधिनियम द्वारा प्रदाय द्वितीय अपीलीय अधिकारी की शक्तियों का प्रयोग करते हुये उक्त लंबित प्रकरणों को स्वमेव अपील में लेकर अधिनियम की धारा 7 (1) (क) के तहत पदाभिहित अधिकारी डॉ अनूप कुमार कामठान, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला ग्वालियर पर कुल राशि रु. 1000/- की शास्ति अधिरोपित की जाती है।

3/आप उक्त प्रकरण का तत्काल निराकरण कर, 07 दिवस के भीतर शास्ति की राशि शीर्ष (0070) अन्य प्रशासनिक सेवाएँ, उप मुख्य शीर्ष (60) अन्य सेवाएँ, लघु शीर्ष (800), अन्य प्राप्तियाँ, योजना (1066) लोकसेवा अधिनियम के अन्तर्गत प्राप्तियाँ मद में जमा कर, जिला कलेक्टर कार्यालय को चालान की एक प्रति प्रेषित कर प्रतिवेदन इस कार्यालय को अनिवार्य रूप से उपलब्ध करायें। इस आदेश का समय पर पालन करने में विफल रहने पर आपके विरुद्ध कठोर कार्यवाही की अनुशंसा की जाएगी।

संचालक (अस्पताल प्रशासन)
संचालनालय स्वास्थ्य सेवाएँ
मध्यप्रदेश

क्रमांक 04/लोसेगा/2015/183

भोपाल, दिनांक 08/10/2015

प्रतिलिपि सूचनार्थ -

1. प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, मध्यप्रदेश।
2. सचिव, मध्यप्रदेश शासन, लोकसेवा प्रबंधन विभाग, मध्यप्रदेश।
3. स्वास्थ्य आयुक्त, संचालनालय स्वास्थ्य सेवाएँ, मध्यप्रदेश।
4. कार्य पालन संचालक, राज्य लोकसेवा अभिकरण, सुशासन भवन, भदभदा रोड, भोपाल।
5. संचालक/नोडल अधिकारी, लोकसेवा गारंटी, संचालनालय स्वास्थ्य सेवाएँ, मध्यप्रदेश।
6. संभागीय संयुक्त संचालक, स्वास्थ्य सेवाएँ, ग्वालियर संभाग, मध्यप्रदेश।
7. कलेक्टर, जिला ग्वालियर, मध्यप्रदेश।
8. संबंधित डॉ अनूप कुमार कामठान, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जिला ग्वालियर की ओर पालनार्थ।

संचालक (अस्पताल प्रशासन)
संचालनालय स्वास्थ्य सेवाएँ
मध्यप्रदेश

M. Thakur
A. P. S. S.
Website
8/10